



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH प्रन्यास विलेख

G 754546

इस न्यासपत्र की घोषणा दिनांक 27.07.2009 को सलमान अली पुत्र श्री मुनकाद अली निवासी करवा व डाक किठौर, गढ़ रोड, मेरठ (उ० प्र०) जिसे आगे संस्थापक/प्रथम पक्ष कहा गया है तथा फरमान अली पुत्र श्री मुनकाद अली निवासी करवा व डाक किठौर, जिला मेरठ व नफीस अहमद पुत्र ताहिर अहमद निवासी ग्राम व डाक बहेड़ी जिला मुजफ्फरनगर व अब्बास अली पुत्र श्री रियासत अली निवासी ग्राम व डाक ललियाना जिला मेरठ व माजिद अली पुत्र श्री शौकत अली निवासी करवा व डाक किठौर जिला मेरठ जिन्हें आगे द्रस्टी/द्वितीय पक्ष कहा गया है के द्वारा की गयी है। जिसमें न्यासपत्र के निष्पारक एवं उनके वरिष्ठ सम्मिलित हैं।

जो कि संस्थापक काफी समय से उच्चकोटि की आर्थिक तौर पर सहनीय शिक्षा जरूरतमंदों के लिये चिकित्सा एवं सामाजिक आर्थिक सहयोग देने की जरूरत महसूस कर रहा था। अतः इस नेक काम के लिये 'आर० क० गैमोरियल ट्रस्ट' की घोषणा की जाती है।

लगानी का भाव भाव



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

जो कि द्रस्ट के सफल व कुशल संचालन के लिये द्रस्टीज ने द्रस्टीज बनना एवं द्रस्ट को घलाने की विश्वसनीय सहमति दे दी है।

अत न्यासपत्र निम्न तथ्यों एवं नियमों को प्रतिवादित करता है:-

1. यह कि द्रस्ट का नाम 'रेहाना खातून मैमोरियल द्रस्ट' अर्थात् 'आर० के०

मैमोरियल द्रस्ट' होगा।

2. यह कि संस्थापक 51,000/- रुपये नकद द्रस्ट को उददेश्यों की पूर्ति के लिये देता है। जिनसे संस्थापक का कोई मतलब वास्ता नहीं होगा।

3. द्रस्ट फन्ड के रूप में संस्थापक हारा प्रदत्त रकम तथा द्रस्ट को प्राप्त सभी चल एवं अचल सम्पत्तियाँ, दान व अधिग्रहण से प्राप्त प्राप्ति एवं सम्पत्ति चाहे वह नकद हो या अन्य प्रकार से हो द्रस्ट का फन्ड मानी जायेगी तथा द्रस्ट का फन्ड होगी। परन्तु दान से प्राप्त रकम आय नहीं मानी जायेगा। द्रस्ट फन्ड को द्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति के लिये प्रयोग किया जायेगा।

Hannan (201)

Fauji A.C. Nafees Ahmed राष्ट्रीय बाल कार्य पाठ्य



भारतीय गैर-न्यायिक

एक सौ रुपये

100

भारत
INDIAN



Rs. 100

ONE

HUNDRED RUPEES

IA
TOTAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4. द्रस्ट का कार्यालय— द्रस्ट का कार्यालय कस्बा व डाक किठौर जिला मेरठ में स्थित श्री मुनकाद अली का निवास होगा जिसे आवश्यकता होने पर भारतवर्ष में कहीं भी स्थानान्तरित किया जा सकेगा। भारतवर्ष के किसी भी प्रान्त तथा विश्व के किसी भी देश में द्रस्ट के शाखा कार्यालय स्थापित किये जा सकते हैं।

5. द्रस्ट का कार्यक्षेत्र— द्रस्ट का कार्यक्षेत्र मुख्यतः समस्त भारत देश होगा। इसके अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों में भी भारतीय संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य किया जा सकता है।

6. द्रस्ट के उद्देश्य— इस द्रस्ट की घोषणा भारत व उसके बाहर समाज सेवा के लिये अन्य उद्देश्यों सहित निम्न उद्देश्यों के साथ की जाती है—

- (i) कामर्स, विकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रबन्धन, कम्प्यूटर साईंस, तकनीकी प्रोफेशनल, नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु समाज के विभिन्न वर्गों के छात्रों को सहायता व बढ़ावा देना।

(गोपनीय १९८)

Jamninder
Ngees Ahmad

